न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2017

1. राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
2. विरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. बनवारीलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
2. तारामणी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
3. हरनन्दी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
5. मंजु पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
7. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादी
वकील श्री रामचन्द्र सिंवर : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 26.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 14 एएमएस के खाता सं0 85/90 के मु0 न0 93 के किला न0 16 ता 25 मु0 न0 94 के किला न0 16 व 25 मु0 न0 98 के किला न0 1 ता 5 की कुल 4.301है0 बारानी मय रास्ता प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 53/49 के मु0 न0 36 के किला न0 14, 16, 17, 24 व 25 मु0 न0 58 के किला न0 11, 20 , 21/1 की कुल 1.935है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 10 बारानी के खाता सं0 69/54 के मु0न0 14 के किला न0 4 ता 6 , 15 व 16 की कुल 1.265है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाती सं0 115/111 के मु0न0 1 के किला न0 18, 21 ता 23, मु0न0 6 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10 मु0 न0 7 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15, 17 ता 24 मु0न0 8 के किला न0 1 ता 20 मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 3 , 9 व 10 कुल 14.168है0 नहरी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 2.783है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के पड़दादा हुकमाराम की खातेदारी हुआ करती थी। हुकमाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 7 की ओर से जवाव पेश किया गया जबकि प्रतिवादी सं0 6 व 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2071–74 प्रदर्श 1 , चक 10 बारानी का नामान्तरण प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2017–74 प्रदर्श 3 नामान्तरण चक 10 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 4 जमाबंदी 15 जेजीडब्ल्यू संवत 2073–76 प्रदर्श 5 नामान्तरण चक 14 एएमएस प्रदर्श 6 जमाबंदी चक 14 एएमएस संवत 2072–75 प्रदर्श 7 नामान्तरण 14 एएमएस प्रदर्श 8 जमाबंदी चक 10 बारानी संवत 2070–73 प्रदर्श 9 व जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू संवत 2056 प्रदर्श 10 शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2071–74 प्रदर्श 1 , चक 10 बारानी का नामान्तरण प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2017–74 प्रदर्श 3 नामान्तरण चक 10 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 4 जमाबंदी 15 जेजीडब्ल्यू संवत 2073–76 प्रदर्श 5 नामान्तरण चक 14 एएमएस प्रदर्श 6 जमाबंदी चक 14 एएमएस संवत 2072–75 प्रदर्श 7 नामान्तरण 14 एएमएस प्रदर्श 8 जमाबंदी चक 10 बारानी संवत 2070–73 प्रदर्श 9 व जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू संवत 2056 प्रदर्श 10 शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 11 शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण के अनुसार बनवारीलाल के इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद भूमि 10 जेजीडब्ल्यू के अलावा वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 एएमएस के खाता सं0 85/90 के मु0 न0 93 के किला न0 16 ता 25 मु0 न0 94 के किला न0 16 व 25 मु0 न0 98 के किला न0 1 ता 5 की कुल 4.301है0 बारानी मय रास्ता प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 10 बारानी के खाता सं0 69/54 के मु0न0 14 के किला न0 4 ता 6 , 15 व 16 की कुल 1.265है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 115/111 के मु0न0 1 के किला न0 18, 21 ता 23, मु0न0 6 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10 मु0 न0 7 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15, 17 ता 24 मु0न0 8 के किला न0 1 ता 20 मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 3 , 9 व 10 कुल 14.168है0 नहरी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 2.783है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को बहिस्सा बंराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.14 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2017

1. राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
2. विरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. बनवारीलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
2. तारामणी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
3. हरनन्दी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
5. मंजु पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी रामगढिया त0 भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
7. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र सिंवर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 एएमएस के खाता सं0 85/90 के मु0 न0 93 के किला न0 16 ता 25 मु0 न0 94 के किला न0 16 व 25 मु0 न0 98 के किला न0 1 ता 5 की कुल 4.301है0 बारानी मय रास्ता प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 10 बारानी के खाता सं0 69/54 के मु0न0 14 के किला न0 4 ता 6 , 15 व 16 की कुल 1.265है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 115/111 के मु0न0 1 के किला न0 18, 21 ता 23, मु0न0 6 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10 मु0 न0 7 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15, 17 ता 24 मु0न0 8 के किला न0 1 ता 20 मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 3 , 9 व 10 कुल 14.168है0 नहरी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 2.783है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.07.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner